संचालनालय तकनीकी शिक्षा
A.F.R.C.
20 NOV 2013
1604 संचालक

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर 492002

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 29 OCT 2013

क्रमांक एफ 21–02/2012/नौ/55 ::: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 के तहत गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में संचालित बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग (Basic B.Sc.Nursing) पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग (Post Basic B.Sc. Nursing), एवं एम.एस. सी. नर्सिंग (M.Sc.Nursing) पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में प्रवेश हेतु फीस का पुनरीक्षण/निर्धारण कर दिया गया है। समिति द्वारा पुनरीक्षित/निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है, एवं इस संबंध में यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू किया जाता है।

पुनरीक्षित/निर्धारित शुल्क (शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सहित) निम्नानुसार प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है :–

स. क्र.	संस्था का नाम	शैक्षणिक सत्र	Basic B.Sc. Nursing	Post Basic B.Sc. Nursing	M.Sc. Nursing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	के.बी.पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चिरमिरी	2011–12 2012–13 2013–14	रू. 50,010/–	–	–
2.	मार्ग दर्शन संस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बैकुण्ठपुर	2011–12, 2012–13 2013–14	रू. 50,010/–	–	–
3.	पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट नर्सिंग कॉलेज, अंबिकापुर	2011–12, 2012–13 2013–14	रू. 50,010/–	–	–
4.	शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जुनवानी	2011–12, 2012–13 2013–14	रू. 50,010/–	–	–
5.	व्ही.केयर नर्सिंग कॉलेज, अंबिकापुर	2011–12, 2012–13 2013–14	रू. 50,010/–	–	–
6.	सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर, कोरबा	2011–12, 2012–13 2013–14	रू. 51,010/–	–	–
7.	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, धनेली	2011–12, 2012–13 2013–14	रू. 51,010/–	–	–
8.	आदेश्वर नर्सिंग इंस्टीट्यूट, कांकेर	2012–13 2013–14 2014–15	रू. 51,010/–	–	–

क्रमशः 2......

स.क्र.	संस्था का नाम	शैक्षणिक सत्र	Basic B.Sc. Nursing	Post Basic B.Sc. Nursing	M.Sc. Nursing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	भारत नर्सिंग इंस्टीट्यूट, दल्लीराजहरा	2012–13 2013–14 2014–15	रू. 51,010/–	–	–
10.	कोलम्बिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायपुर	2012–13 2013–14 2014–15	रू. 51,010/–	–	–
11.	जगतगुरू शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, म्रुजगहन	2012–13 2013–14 2014–15	रू. 51,010/–	–	–
12.	रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, धमतरी	2012–13 2013–14 2014–15	रू. 51,010/–	–	–
13.	स्कोप कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट,	2012–13 2013–14 2014–15	रू. 51,010/–	–	–
14.	बिलासा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर	2012–13 2013–14 2014–15	रू. 51,010/–	–	–
15.	सूर्या नर्सिंग इंस्टीट्यूट, महासमुंद	2012–13 2013–14 2014–15	रू. 50,010/–	–	–
16.	प्रतिभा कॉलेज ऑफ नर्सिंग,मोवा, रायपुर	2013–14 2014–15 2015–16	रू. 51,010/–	–	–
17	माँ मंगला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायगढ़	2013–14 2014–15 2015–16	रू. 50,010/–	–	–
18.	मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग (श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट) कुम्हारी, दुर्ग	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	–	पुनरीक्षित रू. 87,110/–
		2009–10 2010–11 2011–12	–	रू. 43,275/–	–
		2012–13 2013–14 2014–15	–	पुनरीक्षित रू. 44,770/–	–
		2010–11 2011–12 2012–13	–	–	रू. 84,750/–
19.	चंदुलाल चन्द्राकर मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज, भिलाई	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	पुनरीक्षित रू. 45,140/–	पुनरीक्षित. रू. 87,110/–

क्रमशः 3......

स. क्र.	संस्था का नाम	शैक्षणिक सत्र	Basic B.Sc. Nursing	Post Basic Nursing	M.Sc. Nursing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	एम. जे. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिलाई	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	–	–
21.	श्रेयस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सुपेला भिलाई	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	–	पुनरीक्षित रू. 87,110/–
22.	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम बेलभाटा	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	पुनरीक्षित रू. 45,140/–	पुनरीक्षित रू. 87,110/–
23.	हॉली क्रास कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अंबिकापुर	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	पुनरीक्षित रू. 45,140/–	पुनरीक्षित रू. 87,110/–
24.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अपोलो हॉस्पिटल, बिलासपुर	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	–	–
25..	आरआईटीईई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, छतौना	2012–13 2013–14 2014–15	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	–	–
		2012–13 2013–14 2014–15	–	रू. 43,275/–	–
26.	आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट, रायपुर	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	–	–
27.	सृष्टि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायपुर ग्राम राखी, तहसील – अभनपुर	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	–	–
28.	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजनांदगांव	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	पुनरीक्षित रू. 45,140/–	–
		2010–11 2011–12 2012–13	–	रू. 43,275/–	–
29.	अपोलो नर्सिंग कॉलेज, अंजोरा, दुर्ग	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	पुनरीक्षित रू. 45,140/–	रू. 85,550/–
30	चन्द्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट, दुर्ग	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	–	–
31.	श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हुडको, भिलाई	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	पुनरीक्षित रू. 45,140/–	पुनरीक्षित रूपये 87,110/–
32.	पी.जी.कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिलाई	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	पुनरीक्षित रू. 45,140/–	पुनरीक्षित रूपये 87,110/–

क्रमशः 4 ......

स. क्र.	संस्था का नाम	शैक्षणिक सत्र	Basic B.Sc. Nursing	Post Basic Nursing	M.Sc. Nursing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिलाई	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	–	–
		2011–12 2012–13 2013–14	–	रू. 43,275/–	–
34.	आदेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जगदलपुर	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 55,200/–	–	–
35.	बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बोरसी दुर्ग	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 54,200/–	–	–
36.	सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देवादा, राजनांदगांव	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 54,200/–	–	पुनरीक्षित रू. 86,110/–
		2011–12 2012–13 2013–14	–	रू. 42,275/–	–
		2010–11 2011–12 2012–13	–	–	रू. 83,750/–
37.	डॉ.राजेन्द्र प्रसाद नर्सिंग कॉलेज, रिसाली, भिलाई	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 54,200/–	–	–
38	ओरियंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कटघोरा	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 54,200/–	–	–
39.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेडुका पेण्ड्रारोड	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 54,200/–	–	–
40.	मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अंबिकापुर	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 54,200/–	–	–
41.	सी जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायपुर	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 54,200/–	–	–
42.	सी जी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 54,200/–	–	–
43.	बोधनी देवी नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अड़वाल, जगदलपुर	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 54,200/–	–	–
44.	महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नसिंग, रायपुर	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 54,200/–	–	–

क्रमशः 5 ......

क्र.	संस्था का नाम	शैक्षणिक सत्र	Basic B.Sc. Nursing	Post Basic Nursing	M.Sc. Nursing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, धमतरी क्रिसचन हॉस्पिटल, धमतरी	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 54,200/–	–	–
		2008–09 2009–10 2010–11	–	रू. 42,275/–	–
		2011–12 2012–13 2013–14	–	पुनरीक्षित रू. 43,400/–	–
		2009–10 2010–11 2011–12	–	–	रू. 83,750/–
		2012–13 2013–14 2014–15	–	–	पुनरीक्षित रू. 85,325/–
46.	मैत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अंजोरा, दुर्ग	2013–14 2014–15 2015–16	पुनरीक्षित रू. 53,200/–	–	पुनरीक्षित रू. 85,110/–

2/ निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना केपीटेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश दिया जाता है :–

1. निर्धारित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क (रू. 300/– प्रति वर्ष) एवं अन्य विविध शुल्क सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क देय नहीं है। निर्धारित शुल्क पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिये वही रहेगा, जो प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय निर्धारित है।

2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं शासन/संचालनालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय/संचालनालय में नियमानुसार जमा किया जा सकता है।

3. कॉशन मनी रू. 1500/– केवल एक बार (प्रवेश के समय) देय है। जो संस्था छोड़ने पर अथवा पाठ्यक्रम समाप्त होने पर वापसी योग्य है।

4. यदि पाठ्यक्रम एक्रीडिटेड है तो इस हेतु प्रति छात्र प्रतिवर्ष रू. 500/– अतिरिक्त फीस ली जा सकती है।

5. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस एवं छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं न लाभ न हानि के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।

क्रमशः 6 ......

6. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रू. 25/— प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय एवं उंच्चतर वर्ष में ही देय है।

7. नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदण्ड/फाईन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाइन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जा सकेगी।

8. एक वर्ष की फीस का तात्पर्य है 12 माह की फीस। निर्धारित फीस केवल प्रवेशित छात्रों के लिए है एवं छात्र अध्ययन जारी रखने तक की अवधि के लिए है। सीट निरस्त कराने पर छात्र के द्वारा जमा किए फीस को संस्था को जब्त करने अथवा अर्थदण्ड (Penalty) लेने का अधिकार नहीं है।

9. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनविार्य व्यय के पश्चात शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी सस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा। इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

10. किसी सत्र में प्रवेशित छात्रों के लिये पूर्व में ली गई शुल्क एवं निर्धारित अंतिम शुल्क में अंतर की राशि छात्र द्वारा/संस्था द्वारा जैसा भी प्रकरण हो संस्था को/छात्र को वापस देय होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि संस्था द्वारा सत्र 2010—11 एवं 2011—12 में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है उस दशा में शुल्क के अंतर की राशि संस्था द्वारा छात्र को किसी बैंक के माध्यम से (चेक, डिमाण्ड ड्राफ्ट आदि के रूप में) वापस की जावे। यदि निर्धारित शुल्क से कम लिया है तो शेष राशि संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त की जा सकेगी। संस्थाएं चाहें तो फीस माफ कर सकती है।

11. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, चरित्र, आय, प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (10 वी., 12वी, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं करवाया जाना है। केवल प्रमाण—पत्रों के सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है।

12. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है, यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है।

13. उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाली संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

(एस.एल.आदिले)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमशः 7 ......

पृष्ठां.क्रमांक एफ 21–02/2012/नौ/55 नया रायपुर, दिनांक 29 OCT 2013

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, रायपुर।
5. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
10. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुष एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय, डेंटल कॉलेज भवन, जी.ई. रोड़, रायपुर (छ.ग.)।
11. रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
12. रजिस्ट्रार, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय कोनी, बिलासपुर।
13. रजिस्ट्रार, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
14. रजिस्ट्रार, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर।
15. समस्त संबंधित नर्सिंग महाविद्यालय ——————————
की ओर पालनार्थ प्रेषित।
16. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, रायपुर मीडिया में प्रकाशनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17. स्टाक फाईल।

29/10/13

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग